पेज संख्या 1/3

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 35/2021

अपीलांट

1. श्रीमती तीजो देवी पत्नी गणेशसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी चोराउ, तहसील सायला, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. बाबूसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
2. गणपतसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
3. पेपसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
4. रेखा पुत्री सवाईसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण आसाणा, तहसील सायला, जिला जालोर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला पाली।

उपस्थित :–

1. श्री विक्रमसिंह राव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20-07-2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत सहायक कलेक्टर, सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2021 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा वकील अपीलांट व रेस्पोड़ेन्ट संख्या 01 से 04 बाजूद नोटिस तामिल सुचना के अनुपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा एक वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई थी। परन्तु अपीलांट द्वारा जब उक्त वाद के संबंध में जानकारी होने पर अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जो

आज तक विचाराधीन हैं एवं रेस्पो0 संख्या 01 से 04 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही का फायदा उठाकर प्राथमिक डिक्री जारी करवादी एवं एक पक्षीय कार्यवाही के विरूद्ध अपीलांट के प्रार्थना पत्र को बिना सुने ही अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत होने के बावजूद भी दिनांक 21.06.2021 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी जो विधि सम्मत नही है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिस पर भी विचार न कर खारिज कर दिया गया जो आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। मातहत् न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 01 से 04 का पक्ष को सुना जाकर एकतरफा अंतिम डिक्री जारी की गई है। जो विधिसम्मत नही होने के कारण खारिज योग्य है। जबकि राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर मौके का बंटवाड़ा के संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जबकि उक्त प्रकरण में तहसीलदार महोदय द्वारा मौका फर्द पर केवल मात्र काउण्टर हस्ताक्षर ही किये गये हैं जो विधि विरूद्ध होने से बंटवाड़ा निरस्त योग्य है जिस पर भी माननीय न्यायालय ने गौर नहीं किया है। एवं बंटवाड़े के आधार पर न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गई है वह उक्तानुसार विधि सम्मत प्रतित नही होती है, और तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा कर दिया जाता है, तब उस पर पक्षकारान को उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया जाता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के हिस्से की कब्जा काश्त की आराजी का बंटवाडा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं हैं अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 04 तक बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारे के बाद में भूमिधारी तहसीलदार ओपचारिक पक्षकार होता है। जिसके खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में भी रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया मात्र संयुक्त खातेदारी में डिक्री की पालना करनी होती है।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने अपीलांटगण एवं अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर जिस पर जैर अपील आदेश पारित किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क रखा गया कि अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य सबुत व जाबव दावा में सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया जाकर एकतरफा निर्णय व डिक्री जैर अपील निर्णय पारित किया गया है हाजा न्यायालय के मत मे यह राय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कि दुसरे पक्ष को भी सुने यह तथ्य पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारित नही किया गया है। जबकि विधि अनुसार पक्षकारान् को मौके पर उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जाना था तथा पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उसमें उपरोक्त नियमों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसे किसी भी स्थिति में न्यायोचित नही माना जा सकता है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलेक्टर, सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2021 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशो के साथ सहायक कलेक्टर, सायला को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को पुनः साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवा कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-07-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली